

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 106/2026

दायर दिनांक: 17.04.2026

उनवान

रीनू पि. रमेशचन्द पत्नि हंसराज जाति नायक नि. रायपुर तहसील रायपुर

– प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 05/05/2026



प्रार्थीया रीनू पि. रमेशचन्द पत्नि हंसराज जाति नायक नि. रायपुर तहसील रायपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बाबत् रिकॉर्ड दुरुस्ती पेश किया गया। सहमति बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के परिपेक्ष में पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों/रेकार्ड, रीनू का आधार कार्ड (211328538346), पेनकार्ड (FSGPR3410E), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाणपत्र दिनांक 25.06.2023, बैंक खाता पासबुक, ग्राम रायपुर का नामा.सं. 2728 दिनांक 20.03.2015 आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रायपुर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त किये जाने में सहमत है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रायपुर प०म० रायपुर तहसील रायपुर की हाल जमाबन्दी सर्वे सवंत 2073-76 (सर्वे आधार सं. 2081) के खाता संख्या 471 में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी/खातेदार के नाम) को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में निम्नलिखित रूप से अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -

उपखण्ड अधिकारी


पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)



क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम रायपुर प0म0 रायपुर तहसील रायपुर	471	रीना पुत्री रमेश	रीनू पुत्री रमेश

तहसीलदार रायपुर आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना करना सुनिश्चित करें।




 05/5/26
 उपखण्ड अधिकारी पिडावा
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला जालंधार राज0
 पिडावा, जिला जालंधार (महाराष्ट्र)